

**—:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::—**

पृष्ठा.क्रं० 11498 / एक-6-2 / 11

उज्जैन, दिनांक

दिसम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

**24 DEC 2025**

1. .... (समस्त न्यायिक अधिकारीगण जिला उज्जैन) की ओर माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक बी/8823 दिनांक 22.12.2025 की प्रति सूचनार्थ एवं इस टीप के साथ प्रेषित कि ज्ञापन में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में Ready (complete matter) & Not ready (incomplete matter) प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र पर चाही गई जानकारी कुल लंबित प्रकरणों का टाईम लिमिट प्रपत्र से मिलान कर दिनांक 31.12.2025 तक अनिवार्य रूप से मासिक पत्रकों के साथ कार्यालय में प्रेषित करें। साथ ही मासिक पत्रक भी दिनांक 31.12.2025 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

वास्ते /— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
उज्जैन (म.प्र.)

# उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

## ज्ञापन

क्रमांक/B/ 8823  
तीन-10-48/98

जबलपुर, दिनांक 22/दिसम्बर/2025

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
समस्त (म0प्र0)

**Subject :** Annual statement for the year 2025 for Institution, Disposal & Pendency of Civil & Criminal Cases.

संदर्भ :- एडीशनल रजिस्ट्रार, विधि एवं न्याय मंत्रालय नई-दिल्ली से प्राप्त ई-मेल दिनांक 8/2/2017।

//-//

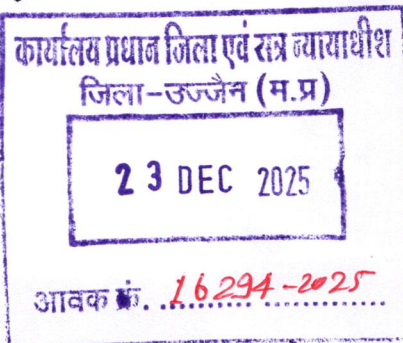
यथानिर्देश, उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत आपसे अनुरोध है, कि अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 31/12/2025 की स्थिति में वर्गीकृत Ready (complete matter) & Not ready (Incomplete matter) प्रकरणों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ई-मेल (mphcchk@gmail.com) के माध्यम से रजिस्ट्री को दिनांक 03/01/2026 तक अविलंब भेजने का कष्ट करे।

कृपया लंबित प्रकरणों की जानकारी प्रतिमाह भेजे जाने वाली रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक डी/380 (माह दिसम्बर-2025 के लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों) से मिलान करते हुये भेजे।

**Bifurcation of Pending Cases (As on 31.12.2025) in Civil District.....**

| Civil                   |                               | Criminal                |                               | Civil + Cri.            | Civil + Cri.                  |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Ready (Complete matter) | Not Ready (Incomplete matter) | Ready (Complete matter) | Not Ready (Incomplete matter) | Ready (Complete matter) | Not Ready (Incomplete matter) |
|                         |                               |                         |                               |                         |                               |

**Note :** Matters ready for recording evidence in suits/final arguments in others, may be treated as "Ready Matters" and rest as "Not Ready Matters".



*Mukesh Rawat*  
22/12/25  
MUKESH RAWAT  
REGISTRAR (DE)